

5000Rs.



प्राचीन वस्त्रालय कर्मसूल मुकाबा	35
प्राचीन वस्त्रालय कर्मसूल मुकाबा	

1	2	3	4
भैलील हिंदू	9290		
पि. 150000			

दारांग
- 2 AUG 1999

काप...पंजीयक

LEASE - DEED

Stamp Duty : Rs. 12,375.00

Surcharge : Rs. 619.00

Additional Duty : Rs. 06.00

TOTAL : Rs. 13.000.00

FIRST PARTY : Nawabzadi Qamai Taj Rabia Sultan
Adult D/o Late Shri Nawab
Hamidullah Khan through G.P.A.
Shri Sardar Mohd. Akbar Adult
S/o Late Shri Sardar Mohd.
Ishaque R/o Palace "Al-Misbah,
Ahmedabad, Bhopal (M.P.)
Nationality - Indian -
(hereinafter referred to as
First Party/ Lessor). General

Power of Attorney executed and
dated 20/11/90 Reg. no 4-A/299

AT 10

5000Rs.



::2::

SECOND PARTY : Aman Education Society
registered under society
Registration Act bearing
registration No. 2728/95 through
Secretary Shri Arif Masood aged
about 29 years S/o Shri Manzoor
Ahmed R/o 16, old Galla Mandi
Shahjehanabad, Bhopal (M.P.)
(hereinafter referred to as
Second Party/ Lessee).

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:

That a piece of land having area 2.83 acres situated at khasra No. 26, Patwari halka no. 23, village Koh-e-fiza, Tehsil- Huzur, District- Bhopal. comprising of three Room, Kitchen, Toilet and Verandah along with Chowkidar's hut the total built-up area is near about 500 sqft. the said property is situated within the ward no.5 of

M.G.W.

अधिकारी
संचालन सोशल प्रॉपर्टी
नेपाल



::3::

CONSIDERATION VALUE :

Rs. 1,50,000.00 (Rs. One lac fifty thousand only) has been received by the First party/ lessor in full previously before the execution of this deed and lease rent will be 3000/- (Rs. Three thousand only) per year for whole of the property which will be paid in the first week of July every year. The lease rent for five years Rs. 15,000.00 (Rs. Fifteen thousand only) has already paid by the Second party to the First party in advance.

M.G.M.
AND WHEREAS the lessor/ first party claims to be absolutely siezed and possessed of and holding legal title of the said property partly built up. The said property is bounded as under :-

By East	- ,	Other's Land
By West	-	Other' Land
By North	-	Road and open land
By South	-	Road and open land.

J. M. G. M.
अधिकारी
राजकीय सोमायरी

500Rs.



::4::

The above mentioned property is situated in khasra no. 26, ward no. 5 village Koh-e-fiza, Bhopal in limits of Municipal Corporation, Bhopal and were particularly described in the attached map, covered by Red lines being part of this deed.

And where as the lessee is desirous of carrying construction of building for Educational purposes like School and College on the said property and the lessor/first party has agreed to lease out the said property to the lessee, againt which full consideration of Rs. 1,50,000.00 (Rs One lac fifty thousand only) has been received by the Lessor.

Now therefore, in consideration of the mutual convenents it is here by agreed between both the parties here to bind there only as follows :-

Contd...5

D. T. M. S. C.
अधिकारी
कानूनी विभाग
बोर्ड ऑफ़ लैविंग



::5::

1. For the purpose of this indenture the terms hereunder described to this Article shall have the following meaning . Land and building shall mean the include the land and superstructure existing thereon more particularly described in the schedule attached hereto which is a part of this lease deed.

 2. Lease deed, shall mean and include all such amendments and supplements to this indenture as may be mutually agreed and between the parties hereto and shall be deemed to the originally include and such other supplements as are made accordance with the previous contained herein and shall include all schedule and Annexures specifically attached.
- MGhas*

Dinesh
विवेक
मोहापटा



::6::

3. The lessor agrees to let and the lessee agrees to take all that construction and land and all other rights, casements and privileges belonging hereto at an early rent Rs. 3000/- (Rs. Three Thousand only) per year and the lessee has already paid Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen Thousand only) towards the lease rent of four years as advance.

4. The Period of Lease shall be 25 years. The lease shall commence from July 1999 to June 2024. The parties agreed that this is the essence of the contract renewal on the same terms and conditions for further agreed period at the option of the lessee Second Part. The possession of the property in question has been delivered to the lessee on 31st July, 1999 with all rights and easements. The lessee will be entitled to enter into submanagement contract with any contracts or construction company.

*Armed
संविधान
जनता एकीकरण द्वीपांडि*

500Rs.



::7::

5. The lessee shall have the right to construct, modify renovate and extend the building, subject to the laws than inforce. The event the lessee builds or erects any structure or superstructure of/or installs machinery, it shall be the cost of the lessee.
6. The lessee shall pay all taxes, rates (including property tax, Land Revenue, wealth tax and Municipal tax) and all other levies for different uses of the property during the lease including conversion from one use to another.
7. The lessee shall not assign his interest in the said premises under these presents, but can sublet the whole or the part of the building or create partnership for the business carried thereon. It is made clear that the lease shall not be terminated on the ground of sub tenancy, partnership mortgage or transfer.

ज्ञान मंडप
भारत
मन एकेडम शोबायरी
शोधाव

8.

The lessee has already paid a sum of Rs.



::8::

as consideration amount against said property as a cash. The lessor acknowledges the receipt of said amount and transferred his all rights to lessee.

9. The lessor hereby covenants with the lessee that the lessee paying the lease hereby reserved and observing and performing the covenants and condition herein contained and on his part to be observed and performed, shall and may peaceably and quietly possess and enjoy the said premises hereby demised. During the said terms without on interruption from or by the lessor or any person on his behalf and the lessee has got the absolute rights over the aforesaid property.

IN WITNESSES WHEREOF the parties to these presents have herein set and subscribed their respective hands on this.....
day of 1999.

- 2 AUG 1999

WITNESSES:

1) Iftakhar Ahmed &/o
Shri Nisar Ahmed
A/o C-89, Kothifizz
Bhopal (M.P.)

2) Keshav Singh gaur &/o
Shri B.S. gaur R/o
S-1176, Nehru Nagar, Bpl.

NOTE: There is no cutting in this documents.

FIRST PARTY

M.Amu
J.J. mu

SECOND PARTY

अश्विनी सचिव
प्रमन एजुकेशन सोसायटी
दीपाल

राजस्थान के दस्तावेज़

नं. ४६८३०५२२


जय-कमल

८ अक्टूबर - १६^{११} १९८८

२५५-२८



५



८ - showing built up area.
झारखण्ड

७८८
८२३
७१७१८०



५

मंगल
नीम
सचिव
ग्रमन एजुकेशन सासायटी
शोपाल

ग्रामन एजुकेशन सासायटी
शोपाल उत्तराखण्ड
ग्रामन एजुकेशन सासायटी



dated on -

ज०. न० ४-८/२९९

Serial no. 952.

Contd....2

J. M. S.
सचिव
ग्रमन एजुकेशन सासायटी

कार्यालय तंसुक्त तंथालक
नगर तथा ग्राम निकेश,
जिला-भोपाल-सीहोर
भोपाल

ਕੁਮਾਂਕ - 492 / ਕਾਰ੍ਯ/ਸਥ/·ਤ/ਨ·ਗ੍ਰਾ·ਨਿ/ਜਿ·ਭਾ·ਸੀ·/ਮ·ਤ/ 134/99

प्रतीत,

भोपाल, दिनांक १७/११/९९

अग्र एवं द्वितीय संसाधन-
तापाल

प्रिष्ठ्यः- निकेता क्षेत्र भोपाल विकास योजना 2005/1975-91 में भूमि उपयोग जानकारी।

संदर्भः - आपका आवेदन दिनांक

शासन द्वारा अनुमोदित विकास योजना अनुसार व्यापक तौर पर आवेदीत हेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है :-

ब्राम	खारा क्रमांक	भूमि उपयोग
3787	- 26 -	आवासीय मूल पौधानिक गतिविधियाँ

- 1- विकास योजना में निर्दिष्ट प्रस्ताव विस्तृत तथा संकेतिक स्पर्धप के है । प्रस्तावित भूमि उपयोग किकास योजना प्रस्ताव का समान स्पर्ध से अतरा मानवित्र पर अंकन होने अधिवाक्षियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनःरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात् उपत भूमि अथवा इसके कुछक भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग प्रणो में भी आ सकता है ।
 - 2- विकास योजना के अनुरूप उपयोग को जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य अनुज्ञा/अनुमति दिया जाना नही है जिसके लिये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम । १९७३, मध्यप्रदेश नगर पालिका बुकालोनाईजर का - राजस्त्रीकरण निर्वयन तथा शर्तीय नियम । १९७४ एवं अन्य संबंधित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
 - 3- उच्च भूमि उपयोग को जानकारी में अन्य प्रांसिक उपयोग भी सम्मिलित है जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा ।
 - 4- आवेदक द्वारा अक्स पर बटान प्रस्तुत कहीं किये जाने के कारण पूरे छतरे का उपयोग दिया जा रहा है ।

Jane
सहायक तंपालक १७/८
कार्यालय संस्कृत संपालक
नगर तथा ग्राम निषेद

न्यायालय सहायक बन्दौबत्त अधिकारी, तैति हिंदाराम कार, भोपाल

प्रकरण क्र. 103/अ-2/98-99



अमन एज्युकेशन औसापटी
आरिफ मसूद लचिव दारा
फोहली न्यायिक मुख्ताज अम
नवाब मसूद अली खान पठारी
और वेगम साहिया हुल्तान
निवासी, भोपाल।

...

आवेदक

विस्तृद

...

अनावेदक

म.प्र. शासन

१ पारित आदेश दिनांक ५. १०. ९९

आवेदक फोहली न्यायिक मुख्ताज अली खान पठारी
भूमि वेगम साहिया हुल्तान निवासी भोपाल की ओर से अमन एज्युकेशन
औसापटी द्वारा आरिफ मसूद ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया है कि ग्राम कोहेफिजा प.ह.न. 23 अंतर्गत स्थित भूमि नं.
नं. 26 रक्कड़ 2.83 एकड़ भूमि ला व्यवर्तन शैक्षिक एवं सहायतासी
परिसर के लिए किया जाये। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के तीव्रता तलवारा
कार्म, शपथ पत्र, पटवारी बसरा पाँच साल की छापापूति, संचालक नगर तथा
ग्राम निवेश भोपाल का पत्र क्रमांक 497 दिनांक 19.08.99 से भूमि उपयोग
की छापापूति एवं बिल्डिंग पर्सोनल हरहापनेस महरताज नवा ब साजिदा
हुल्तान वेगम रुल्ल अौफ भोपाल भूमि रखाई के नाम पर दर्द है।

१) आवेदक द्वारा प्रस्तुत एवं प्राप्त दस्तावेज प्रकरण में तीव्रता
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रश्नाधीन भूमि नं. 26 रक्कड़ 2.83 एकड़
लगान 4.94 रुपये राजस्व अधिकारी अनुसार हरहापनेस महरताज नवा ब साजिदा
हुल्तान वेगम रुल्ल अौफ भोपाल भूमि रखाई के नाम पर दर्द है।

२) तीव्रित विभागों के अधिगत प्राप्त ठरने देते पत्र जारी किये गये विभागों
से प्राप्त एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का
विवरण निम्नानुसार है।

१/ प्रश्नाधीन भूमि के तीव्रित में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल द्वारा
पत्र क्रमांक 497 दिनांक 19.08.99 के द्वारा ग्राम कोहेफिजा क.ह.न. नं.
26 का उपयोग शैक्षिक एवं आवासीय है भूमि उपयोग की छापापूति
प्रकरण में तीव्रता है।

२/ भू-अर्जन आवासी भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक 1241/प. 22.9.99
से प्राप्त अधिगत अनुसार ग्राम कोहेफिजा की भूमि नं. 26 की भूमि
का अर्जित दौवा नहीं पाया जाता इनकी प्रति प्रकरण में तीव्रता है।



सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
५.१०.९९

सहायक बन्दौबत्त अधिकारी
तैति हिंदाराम नगर, भोपाल

... 2 ...

- 
क्रमांक 455/नवूल/१९ दिनांक ४
- 3/ कार्यालय नगरपालिका भौपतिकारी का क्रमांक 455/नवूल/१९ दिनांक ४
 24.९.१९ ते २५.९.१९ वर्ष के बीच अधिकारी का ब.न. २६ के ओर प्रतिस्थापित
 होने वाली भूमि ला देवागढ़ापाराम में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं
 है। प्राप्त पर एक वर्ष में होगा।
- 4/ रा.नि.डायरेक्टर ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन प्राप्त किए
 गए जो कि प्रकरण में होगा। रा.नि. प्रतिवेदन तो सहमत है।
- 5/ म.प्र. अधिसूचना क्रमांक एफ-१५/१४/१३ सात शा. ८/वैदो/भौपाल
 दिनांक १८.०१.१५ के अनुसार लालक नं. । देवागढ़ के लिये व्यवसायिक
 दर ६.५० रुपये प्रति १०० वर्गफिट के मान से स्वीकृत है।
- 6/ ग्राम कोडेफिला भूमि ब.न. २६ रकबा २.८३ एकड़ लगान ४.९४ रुपये
 के १२३२७४ वर्गफिट का ६.५० रुपये प्रति १०० वर्गफिट के दिवाव से
 ८०१२.८१ रुपये पुनः नियरिष एवं ५००/- रुपये प्रति एकड़ के मान से
 २.८३ एकड़ के १४१५/- रुपये प्रति वर्गफिट अधिरोपित
 किए जाता है।
- 7/ भू-राजस्व में कमी ४.९४ रुपये की जाती है।
- 8/ अतः प्रश्नाधीन भूमि का व्यवधारण कृषि भूमि से वैशिष्ट्य सह आवासीय
 प्रयोजन के लिये म.प्र.भू.रा.टीडिता की घारा १७२(१) के अंतिम नियन
 शर्तों के अधीन अनुद्धा दी जाती है।
- १॥ प्रश्नाधीन भूमि ब.न. २६ का प्रकरण कार भूमि सीधा अन्वित जो
 श्री निर्णय होगा स्वीकार करना होगा।
- २॥ जिस प्रयोजन के लिये व्यवधारण किया जा रहा है। प्रयोजन संबोधित
 ग्राम वडाने पर पुनः अनुमति प्राप्त करना होगा।
- ३॥ शासन अद्याता सार्वजनिक हित में भूमि ला अर्जन किए जाता है तथा
 कृषि भूमि का सुलाप्ता प्राप्त करना होगा।
- ४॥ विकास एवं नियमि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सभी संबंधित विभागों
 के विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगा।
- ५॥ सार्वजनिक स्थान एवं जन सुविधाओं के लिये बने नियमों ता पालन
 करना होगा।
- ६॥ आयोदक लारा विकास कार्य करने के पूर्व संचालक कार तथा ग्राम
 नियमा ते नक्शा अनुमोदन कराना होगा।
- सहायक वन्निवस्त अधिकारी
 अंत हिरदाराम नगर, श्रीप्रातुनः नियरिष भू-भाटक प्रतिवर्द्ध जगा करना होगा।
- ८॥ नियरिष भू-राजस्व में ४.९४ रुपये की कमी की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

....३..


 मुख्य प्रतिविपिकार
 ५.१०.११

ONE RUPEE

उपरोक्त शतों का राजस्व तुलने की स्थिति में व्यवहरन त्वयै
निरस्त माना जायेगा।

राजस्व निधीका [डायरेक्ट] पटदारी हुत्यात अभिमत में अग्रल करें।

सहायक बन्दबोस्त अधिकारी
मंत्र हिरदाराम बगर, भोपाल

तहायक बन्दबोस्त अधिकारी
देवरामदेव, भोपाल, भोपाल


पृष्ठफिल बुमारी / न. स. ज. 199, भोपाल, दिनांक-

प्रतिलिपि-

1. तथम प्राधिकारी कार श्रीमा भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. तहसीलदार, तहसील हुत्यार जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।


तहायक बन्दबोस्त अधिकारी
देवरामदेव, भोपाल, भोपाल

सत्य प्रतिलिपि


मुख्य प्रतिलिपिकार
५.१०.११



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड
ई स्टाम्प राशि (रूपए)
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रूपए)
जनपद ड्यूटी (रूपए)
छृट दी गई राशि (रूपए)
ई स्टाम्प का प्रकार
निर्गमन तिथि एवं समय
यूजर आईडी / जारीकर्ता
एस पी / एस आर ओ /
डी आर ओ / एच ओ विवरण

01010516092019005442

1000

1000

0

0

गैर न्यायिक

16/09/2019 14:27:18

ARSHAD KADAR/SP010541606201501301

H.NO.-5, MASJID MADARUL MOHAM, GINNORI हुजूर भोपाल

नगर पालिका ड्यूटी (रूपए) 0

उपकर राशि (रूपए) 0

डीड विवरण

मुख्तारनामा

(ड) अन्य किसी मामले में; - प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रूपए.

मुख्तारनामा आम

पहले पक्ष के विवरण

असद उल्ला खां

मकान नं 0-4, छावनी शहर भोपाल म0प्र0।

1

दूसरे पक्ष के विवरण

अमन एजुकेशन सोसायटी

भोपाल म0प्र0

1

विलेख का प्रकार

लिखत

अम

नाम

पता


व्यक्तियों की संख्या

संगठन का नाम

पता

व्यक्तियों की संख्या

।। सर्वाधिकार पत्र(मुख्तार नामा आम) ।।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

अधिकारदाता-

श्री असद उल्ला खां 'वयस्क' पुत्र श्री हफीज उल्ला खां निवासी-मकान नं0-4, छावनी शहर भोपाल म0प्र0।
रा0भारतीय।

अधिकारगृहिता-

श्री आरिफ मसूद 'वयस्क' पुत्र श्री मंजर अहमद निवासी-मकान नं0-16, ओल्ड गल्ला बाजार,
शाहजहानाबाद भोपाल म0प्र0। (सेकेट्री अमन एजुकेशन सोसायटी भोपाल)। रा0 भारतीय।

संपत्ति विवरण-जो कि एक किता कृषि भूमि जो खसरा क्रमांक-25/1 रकबा-0.95 एकड़ अर्थात् 0.38 हैक्टेयर संपूर्ण भूमि के संबंध में अधिकार दिये जा रहे हैं, भूमि स्थित-ग्राम कोहेफिजा, प0ह0न0-23
रा0न0म0-3 बैरागढ़, विकास खंड फटा तहसील हुजूर जिला भोपाल, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ निम्न प्रकार हैं कि-


दिशा पूरब में- अन्य भूमि खसरा नं0-25 की,
दिशा पश्चिम में- अन्य भूमि खसरा नं0-26 की,
दिशा उत्तर में- अन्य भूमि खसरा क्रमांक-21 की,
दिशा दक्षिण में- अन्य भूमि खसरा क्रमांक-25 की,

अन्य विवरण-यह कि उक्त भूमि अधिकारदाता ने श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं
श्री श्याम कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल से दो अलग अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की है,
जिनके विक्रय पत्रों का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में दिनांक-16-11-2009 एवं
दिनांक-25-02-2010 को पंजीबद्ध है जिसका मैं पूर्ण रूप से स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हूं जो
मेरे ही कब्जे व दखल मालेकाना में चली आ रही है जिसको समस्त प्रकार से हस्तातरण परिवर्तन आदि करने के
सम्पूर्ण अधिकार मुझ अधिकारदाता को ही प्राप्त है।

चूंकि मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उक्त भूमि की देख-रेख एवं उससे संबंधित शासकीय,
अर्द्धशासकीय कार्यवाहियां करने में असमर्थ रहता हूं इस कारण मैं अपनी ओर से अपने विश्वास पात्र श्री
आरिफ मसूद (सेकेट्री अमन एजुकेशन सोसायटी) को अपना मुख्तार आम नियुक्त कर निम्न अधिकार प्रदान
करता हूं कि-

यह कि उक्त भूमि संपत्ति से संबंधित होने वाली सारी वैधानिक कार्यवाहियां मेरे अधिकारगृहिता मेरी ओर से
स्वयं उपस्थित होकर स्वयं के हस्ताक्षरों से सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, नगर निगम, नजूल, पंचायत,
राजस्व विभाग, तहसील, उप-पंजीयक, जिला पंजीयक, आयकर विभाग, एम0पी0रु0बी0, पी0एच0रु0,
शिक्षा विभाग, बैंक व अन्य संबंधित कार्यालयों एवं न्यायालयों में संपत्ति करावे आदि।

यह कि उक्त भूमि संपत्ति की नसी करावे, सीमांकन करावे, फेंसिंग करावे, खसरे की नकल प्राप्त करें, उक्त भूमि
का डायवर्सन करावे, तथा समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों में स्वयं का





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

हस्ताक्षरित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करें, शुल्क जमा करें तथा समस्त आवश्यक कार्यवाहियां करें आदि। तथा उपरोक्त भूमि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल एवं श्याम कुमार अग्रवाल के नाम पर भू-राजस्व विभाग के लिखतमों में भू-अधिकार एवं क्रृत पुस्तिका क्रमांक एम तीन चार आठ शून्य सात तीन पर भू-स्वामी रूप से दर्ज है।


यह कि उक्त भूमि संपत्ति पर कोरड़ भी वाट विवाद उत्पन्न होनें की दशा में उसका प्रतिकार करें, वाट प्रस्तुत करें, इस हेतु वकील, एजेंट, मुख्तार नियुक्त करें तथा प्राथमिक न्यायालय से लेकर उद्युतम न्यायालय तक मुकदमा लड़ें, कोर्ट की क्रय करें, अपील करें, पैरवी करें, आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करें तथा समझौता करें आदि।

यह कि उक्त भूमि पर अधिकारगृहिता अपनी एजुकेशन सोसायटी से सबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाहियां करें, स्कूल, कॉलेज का संचालन करें, निर्माण कार्य कराने हेतु सबंधित आवश्यक कार्यवाहियां करें, उक्त भूमि पर शिक्षा विभाग से सबंधित समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें तथा समस्त आवश्यक कार्यवाहियां करें आदि।

यह कि उक्त अधिकारगृहिता उक्त भूमि संपत्ति से सबंधित समस्त कार्यवाहियां करनें को पूर्ण रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र होंगे तथा उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य एवं व्यवहार मुझे मान्य स्वीकार एवं मुझ पर बंधनकारी होगा।

यह कि उक्त अधिकार पत्र बिना प्रतिफल अधिकारगृहिता के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसमें संपत्ति को विक्रय करनें के अधिकार नहीं दिये गये हैं।

अतः साथ राजी खुशी बिना किसी भय, दबाव एवं लालच के निम्न गवाहों के समक्ष पढ़कर एवं सून समझकर इस मुख्तार नामा आम पर अपने हस्ताक्षर कर पंजीबद्ध करा दिया कि वक्त जरूरत काम आवै इति।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

मैं/हम इस टलावेज के सभी पछो के विवरणों एवं प्रतिलिपियों को, दस्तावेज के आईडी 14792402 तथा ई-स्टाम्प कोड 01010516092019005442 सहित, एलट्राहारा अधिकारियत एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरी/अपने नियांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को नियांदित भी करते हैं।

प्रथम प्रधकार/ प्रधकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

[Signature]
[Asad ullah Khan
&/o Hafeez ullah Khan]

द्वितीय प्रधकार/ प्रधकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

[Signature]
[Arif Masood
&o Mangoor Ahmed
through Secretary - Aman
Education Society]

अन्य प्रधकार/ प्रधकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

[Signature]
गवाह का नाम - Majeed ullah Khan
पता R/o 4 gali No.2, Central आईडी का टाईप तथा नम्बर
हस्ताक्षर आईडी का टाईप तथा नम्बर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
फ्रेस्चर, चामनी, D.P.C.
Hukmaqueen
8977 3473 642

[Signature]
गवाह 2 का नाम - Arshad Raday,
पता 5, Ginnari, Kanki
हस्ताक्षर park, B.P.L.
पार्क कांड
AMIKPK9392B

मैं/हम इस टलावेज के सभी पछो के विवरणों एवं प्रतिलिपियों को, दस्तावेज के आईडी 14792402 तथा ई-स्टाम्प कोड 01010516092019005442 सहित, एलट्राहारा अधिकारियत एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरी/अपने नियांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को नियांदित भी करते हैं।



अंगूठ चिन्ह मुद्रा :



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

Saeedullah



इस दस्तावेज के निष्पादक असद उल्ला खां S/O श्री हफीज़ उल्ला खां के अंगूठे का निशान

मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 16/09/2019 को लिया गया ।

dk
ABHISHEK CHATURVEDI
 Sub Registrar
 SUB REGISTRAR OFFICE
 BHOPAL I

dk



इस दस्तावेज के निष्पादक द्वारा सेकेट्री श्री आरिफ मसूद के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी
उपस्थिति में दिनांक 16/09/2019 को लिया गया ।

dk
ABHISHEK CHATURVEDI
 Sub Registrar
 SUB REGISTRAR OFFICE
 BHOPAL I




गवाह मुद्रा :



Abh.Mehdi

ARSHAD ULLA KHAN





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


गवाह मुद्रा :



(Signature of Salman Khan)



SALMAN KHAN






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	1000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1000

ABHISHEK CHATURVEDI
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
BIOPAL 1





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 16/09/2019 को क्रमांक MP059692019A4647204 दे कर किया गया है। जिसमें 14 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 1000

पंजीयन शुल्क	500
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	500

ABHISHEK CHATURVEDI
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मोपाल-1

